



## म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यलय-59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ ५५३४/ MGNREGS -MP/NR-3/SE-I/2012

भोपाल, दिनांक ०५/०९/2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म0प्र0,  
जिला - समस्त

विषय : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य ग्रेवल रोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन।


- संदर्भ : 1. म.प्र. शासन पत्र क्र. 3894 / MGNREGS -MP/NR-3 / 11 / भोपाल, दिनांक 19.04.11  
2. परिषद का पत्र क. 9457 / NREGS -MP/NR-3 / 11 / भोपाल, दिनांक 28.09.11  
3. परिषद का पत्र क. 12330 / NREGS -MP/NR-3/SE-II / 11 / भोपाल, दिनांक 31.12.11  
4. परिषद का पत्र क. 9446 / NREGS -MP/NR-3/SE-II / 12 / भोपाल, दिनांक 06.10.12

-00-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य सड़क निर्माण कार्य का अनुमोदन परिषद द्वारा प्रकरण के परीक्षणोंपरांत दिया जाता है। परिषद के पत्र दिनांक 31.12.11 एवं 06.10.12 के अनुसार 09 एवं 03 बिन्दुओं की जानकारी के साथ ग्रेवल रोड़ के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु परिषद को जिलों द्वारा भेजे जाते हैं।

कृपया ग्रेवल मार्गों में भूमि उपलब्धता की स्थिति (शासकीय/वन/निजीभूमि) भी स्पष्ट करें। जिलों द्वारा प्रस्तावित मार्गों में वनभूमि आने पर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे एवं निजी भूमि होने पर शासन के पक्ष में भूमि का हस्थानांतरण कराया जावे।

कृपया उपरोक्त जानकारी अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर प्रकरण के परीक्षणोंपरांत भेजी जावे।

  
(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त  
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्